दिनांक 07/06/18

17/5/18 पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत बेंच को स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली दिनांक 7.6.18 के स्थान पर दिनांक 17/5/18 को राजस्व अदालत टोडा के समक्ष प्रस्तुत हो, तदनुसार सभी पक्षकारान को सूचित हो।

सहायक कलेक्टर (SDO), टोडा

17/5/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्यायालय आपके द्वारा 2018 के कैम्प टोडा में पेश हुई। चूंकि मूल वाद जरिये राजीनामा निपटा किया जा चुका है। अब इस आवेदन में अग्रिम कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहा। अतः इस आवेदन में आगामी कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त कर न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दि. 24/10/13 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
चौहटन